(48)

जिला योजना (सामान्य)
संख्या 452/I/2012-03(1)/20/2010

प्रेषक,

संजीव कुमार शर्मा
अनु सचिव
उत्तराखंड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखंड।

ऊर्जा अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 04 अप्रैल, 2012

विषयः- वित्तीय वर्ष 2012-13 में उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्याः-193/XXVII(1)/2012 दिनांक 30.3.2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में लेखानुदान के अंतर्गत उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों में जनपदवार जिला सेक्टर में रू0 4084-00 हजार (रू0 चालीस लाख चौरासी हजार मात्र) की धनराशि निम्न शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1- जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुरक्षण समितियों द्वारा अनुमोदित योजनावार एवं प्लान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।

2- व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैण्डबुक, स्टोर पर्चेज मूल्य मितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को दिनांक 31.7.2012 तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

5- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर केन्द्रांश एवं राज्यांश अवमुक्त किये जाने के बाद ही कोषागार से आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा।

6- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

क्रमशः

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.7.2012 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

8– जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

9– जिलाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्तर–1 में वर्णित शासनादेश दिनांक 30.3.2012 में निहित शर्तों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

10– नयें कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

11– सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर बी0एम0–8 के प्रपत्र पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की 05 तारीख तक उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी को बजट मैनुअल के अध्याय–13 के प्रस्तर–116 की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर–128 की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का संगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की 25 तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक (मा0 मुख्यमंत्री जी/मुख्य सचिव) अर्थात् सक्षम स्तर को कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जायेगा।

12– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान के अनुदान संख्या–21 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 2810–वैकल्पिक ऊर्जा–आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगमते मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

संलग्नः–यथोक्त।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

संख्याः–454 I/2012–03(1)/20/10,तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखंड, देहरादून।
2– समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखंड।
3– निदेशक, उरेडा, देहरादून।
4– सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
5– नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग–2
6– प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
7– विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

अनुदान संख्या 21, आयोजनागत

(शासनादेश संख्या 452/I/2011–03(1)20/2012 दिनांक 01-05-2012 का संलग्नक)

(रू० हजार में)

शीर्षक	स्वीकृत बजट	DDN.	HRD.	THR	UKI	Pauri	RDP	CHML	PTH.	CHMP	ALM	Bage.	NTL	USN	TOTAL
2810–वैकल्पिक ऊर्जा– 02–सोलर इनर्जी 101 –सोलर थर्मल कार्यक्रम 91–00–उरेडा के लिए अनुदान(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 02–सोलर इनर्जी 101–सोलर थर्मल कार्यक्रम 91–00–उरेडा के लिए अनुदान(जिला योजना) 50–सब्सिडी	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 02–सोलर इनर्जी 102–फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम 03–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता 91–उरेडा के लिए अनुदान(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	67.00
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 02–सोलर इनर्जी 102–फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम 03–सोलर फोटोवोल्टाईक कार्यक्रम हेतु उरेडा को सहायता 91–उरेडा के लिए अनुदान(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	267.00	1.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00	10.00	50.00	1.00	50.00	10.00	22.00	1.00	267.00
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 60–ऊर्जा के अन्य श्रोत 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत 91–उरेडा के लिए अनुदान(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	3333.00	0.00	0.00	0.00	400.00	300.00	0.00	300.00	633.00	0.00	300.00	1400.00	0.00	0.00	3333.00
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 60–ऊर्जा के अन्य श्रोत 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय योजनाओं के अन्तर्गत 91–उरेडा के लिए अनुदान(जिला योजना) 50–सब्सिडी	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2810–वैकल्पिक ऊर्जा 60–ऊर्जा के अन्य श्रोत 800 अन्य व्यय 03–प्रशासनिक व्यय 91–उरेडा के लिए अनुदान(जिला योजना) 20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राजसहायता	200.00	0.00	12.00	12.00	12.00	10.00	7.00	11.00	28.00	50.00	7.00	27.00	12.00	12.00	200.00
योग	4084.00	1.00	130.00	13.00	522.00	410.00	17.00	321.00	711.00	51.00	357.00	1437.00	101.00	13.00	4084.00

(संजीव कुमार शर्मा)
अनु सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20122013

Secretary, Power (S037)

452

आवंटन पत्र संख्या - I/2012-03(1)/20/2010

अनुदान संख्या - 021

अलोटमेंट आई डी - S1204210529

आवंटन पत्र दिनांक - 20-Apr-2012

लेखा शीर्षक - 2810 - वैकल्पिक उर्जा

800 - अन्य व्यय

91 - उरेडा/नेडा के लिये अनुदान(ज

60 - ऊर्जा के अन्य स्रोत

01 - केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वा

HOD Name - Director Electrical Safety (2093)

Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	3333000	3333000
50 - सब्सिडी	0	100000	100000
	0	**3433000**	**3433000**